न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उदयराम बनाम अशोक वगै0

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.01.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो श्पथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.1.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 84/3.4900हे0, 90/1.6800हे0, 87/0.9400 हे0, 88/0.8800 हे0 वाके ग्राम झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.1.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
17-1-22	पत्रावली पेश हुई। वादी ने अपना वाद विड्रा कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र भी विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहे। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)